कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 2683 /12-1 मसूरी, दिनांक- 13/02/ 2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत जयद्वार-तियाड़ा-फलपट्टी मोटर मार्ग (कुल लम्बाई—12.00 कि०मी०) के निर्माण हेतु 9.121 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्रांक-1998/21सी०, दिनांक-06.12.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक- 2848/12-1, दिनांक-23-01-2023।

महोदय,

इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय कमियां इंगित की गयी है, जिसका निराकरण पूर्व में आपके पत्र दिनांक 27.04.2023 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया, किन्तु कमियों का निराकरण पूर्णत: नहीं किया गया। पुन: आपके द्वारा आपके उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा प्रस्ताव की पांच प्रतियां उपलब्ध करायी गयी है।

आपके द्वारा कोई स्पष्ट बिन्दुवार निराकरण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी, किन्तु प्रकरण में इंगित कमियों के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये संलग्नको एवं प्रस्ताव की प्रति का परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त निम्नवत कमियां पायी गयी है :-

क्र०सं०	प्रभाग द्वारा इंगित कमियां	टिप्पणी
1.	ऑनलाईन पोर्टल के पैरा B में आपके द्वारा उल्लेख किया गया है कि विषयांकित परियोजना हेतु पूर्व में प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/ROAD/37504/2018** भारत सरकार की पुर्वानुमति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसके Status में Returned अंकित किया गया है। परीक्षण किये जाने पर पाया गया है कि यह प्रस्ताव *रायपुर कुमाल्डा कददुखाल से सतेंगल* है, जिसमें भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की गयी है। यह प्रस्ताव विषयांकित परियोजना से किस प्रकार सम्बन्धित है, स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या 1 के क्रम में ना कोई प्रतिउत्तर दिया गया है और न ही ऑनलाईन पोर्टल पर इस कमी का निराकरण किया गया है।
2.	प्रस्ताव में अपूर्ण मक डम्पिंग प्लान संलग्न किया गया है। निम्नांकित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए मक डम्पिंग प्लान तैयार कर संलग्न करने का कष्ट करें :– i. Calculation of muck to be generated. Swell factor has to be applied. ii. Quantity of muck to be utilized in the project activities. iii. Balance quantity of muck, which requires disposal/management plan. iv. Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site. v. Development of dumping site- construction of retaining walls and other structures as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck. vi. Rehabilitation of dumping site like levelling, planting of grass, shrubs and tree species.	मक डम्पिंग योजना में निम्नलिखित बिन्दु को संज्ञान में लाना आवश्यक है :- i. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में संलग्न मक डम्पिंग प्लान में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुरूप सुधार नहीं किया गया है। ii. मक गणना में Swelling factor - 10 प्रतिशत ली गयी है, यह किस प्रकार से उचित है, प्रयोक्ता अभिकरण अवगत करायें। iii. मक गणना हेतु कटिंग हेतु चट्टान का ढलान 40° लिया गया है, किन्तु के०एम०एल० फाईल से यह ढलान 50° से अधिक प्रतीत होता है। iv. मक डम्पिंग हेतु 4 नाप स्थलों का चयन किया गया है, किन्तु इसका लैण्ड शैड्यूल में उल्लेख नहीं है।

3.	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र का डिजीटल मैप एवं जियों रेफरेन्स्ड मैप संलग्न नहीं किया गया है।	उपलब्ध करायी गयी प्रस्ताव की पांच प्रतियों में मैप संलग्न नहीं किये गये हैं, अपितु मैप की अलग से दो प्रतियां उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं है। चूंकि प्रस्ताव के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु स्थल ग्राम जयद्वार के हिंगोती तोक में सिविल सोयम भूमि में चयन किया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि प्रस्ताव में राजस्व उपनिरीक्षक, खरसोन के द्वारा 1.926 है० ग्राम जयद्वार मल्ला में उपलब्ध कराने कराये जाने की रिपोर्ट संलग्न की गयी है, जिसमें सक्षम अधिकारी यथा तहसीलदार/उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी की संस्तुति संलग्न नहीं है। उपलब्ध कराये गये मानचित्र में वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल 18.242 है, इस क्षेत्र के सम्बन्ध में राजस्व विभाग का कोई दस्तावेज प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
4.	प्रस्ताव में संलग्न परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2011 की है, इस सम्बन्ध में कृपया स्पष्ट करें कि क्या यह स्वीकृति वर्तमान में प्रभावी है एवं तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	इस कमी निराकरण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर लिया गया है।
5.	प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि में मार्ग का RoW 9.00 मीटर की चौड़ाई में प्रस्तावित किया गया है, क्या यह 7.00 मीटर में किया जा सकता है, स्पष्ट आख्या उपलबध करायें।	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि *'' प्रस्तावित मार्ग निर्माण निर्माण में आने वाली आरक्षित वन भूमि में मार्ग ROW 9.00 मीटर चौड़ाई में तथा पेड़ो की गणना 7.00 मीटर चौड़ाई में की गयी है, इससे कम भूमि पर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है। '* इस बिन्दु का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सामान्य प्रतिउत्तर (Casual reply) दिया गया है। प्रभाग में अन्य कई प्रकरणों में लोक निर्माण विभाग एवं पी०एम०जी०एस०वाई० मोटर मार्गो में ROW 7.00 मीटर के आधार पर वन भूमि प्रत्यावर्तित की गयी है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त बिन्दु के जवाब में स्पष्ट आख्या उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
6.	उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित स्थल की वन्यजीव अभ्यारण से हवाई दूरी 6.00 कि0मी0 दर्शायी गयी है, अतः प्रस्ताव में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनापत्ति संलग्न किया जाना आवश्यक है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में पूर्व से संलग्न वन्यजीव अभ्यारण से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनापत्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
7.	प्रस्ताव में लाभान्वित होने वाले गांव की संख्या 07 है। अतः ऑनलाईन पोर्टल पर **Village wise breakup** में तदनुसार संसोधन करना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पोर्टल में 07 गांवो के नाम अंकित कर दिया है, किन्तु क्षेत्रफल का Village wise breakup में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

8.	ऑनलाईन पोर्टल के पैरा D में अपलोड किये गये Justification में परियोजना से होने वाले लाभों का उल्लेख किया गया है, जबकि justification for locating the Project in forest land के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं उल्लेख की गयी है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में संलग्न Justification में कोई संशोधन नहीं किया गया है। ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड एवं पृथक से उपलब्ध करायी गयी प्रति में Overwriting कर ''अ*न्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित भूमि में ही मार्ग का निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया*'' लिखा गया है।
9.	कृपया स्पष्ट करें कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत परियोजना से प्रभावित/लाभान्वित सम्बन्धित सभी ग्राम पंचायतों की आम सभी की अनापत्ति प्राप्त क्यों की गयी है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल ग्राम जयद्वार का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। परियोजना से प्रभावित होने वाले सभी ग्रामों की अनापत्ति उपलब्ध नहीं करायी गयी है और ना ही इस सम्बन्ध में कोई आख्या दी गयी है।
10.	ऑनलाईन पोर्टल के पैरा L Details of land identified for Compensatory Afforestation में कोई सूचना नहीं अंकित की गयी है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पैरा L में अध्यवधि तक क्षतिपूरक वनीकरण की सूचना अंकित नहीं की गयी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक वर्ष पूर्व प्रस्ताव में इंगित 10 कमियों में से केवल बिन्दु संख्या 4 का ही निराकरण किया गया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण परियोजना के प्रस्ताव में नियमों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। आपके द्वारा बार-बार बिना कमियों के निराकरण किये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के अनुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों में कार्यवाही की जा रही है, जिस हेतु उक्त प्रस्ताव को ''परिवेश 2.0'' पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना उचित होगा। अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में यथाशीघ्र कार्यवाही करते हुए उपरोक्त् कमियों का निराकरण कर प्रस्ताव **'' परिवेश 2.0''** के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रकरण में किसी भी प्रकार के विलम्ब हेतु लोक निर्माण विभाग उत्तरदायी होगा।

(वैभव कुमार सिंह)
उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या : 2683 **/ 12-1, तद् दिनांकित**

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 8वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी